न्यायालयः— श्रीमती रीतिका शर्मा खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पाटन, जबलपुर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क्रमांक —1076 / 2023
संस्थित दिनांक—03.08.2023
फाइलिंग नं0—2201 / 2023
सी0एन0आर0नं0 एम0पी0—2006 / 002618 / 2023
अपराध कमांक—230 / 2023

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चरगवां
जिला जबलपुर(म0प्र0)

..............**अभियोजन**

विरूद्ध

गुलाब पटैल पिता पारीक्षित पटैल,
उम्र 52 वर्ष, निवासी—ग्राम बिछुआ,
थाना चरगवां, जिला जबलपुर म.प्र.

..............**अभियुक्त**

थाना चरगवां के अपराध कमांक—230 / 2023 से उद्भूत प्रकरण कमांक—आर0सी0टी0—1076 / 2023 पक्षकार म0प्र0 शासन थाना चरगवां जबलपुर विरूद्ध सुधीर भूमिय अंतर्गत **आबकारी अधिनियम की धारा 36 (अ)।**

/ /नि र्ण य/ /

(आज दिनांक 03.08.2023 को घोषित)

01. अभियुक्त सुधीर भूमिया पर आरोप है कि उसने दिनांक 02.06.2023 को 20:00 बजे, धरती कछार तिराहा गोटेगावं जबलपुर मेनरोड के किनारे अंतर्गत थाना चरगवां जिला जबलपुर में विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अपने कब्जे में एक 180 एम.एल. के पाव में 30 एम.एल. प्लेन देशी शराब (मादक द्रव्य) रखा पाया गया, जो **आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(अ)** के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

02. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि राजकुमार दीक्षित थाना चरगवां में दिनांक 02.06.2023 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम अपराध पतासाजी एवं इलाका भ्रमण के दौरान धरती कछार तिराहा गोटेगावं जबलपुर मेनरोड के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति शराब पीते हुये मिला, जिसे स्टाफ की मदद से पकड़ा गया, जिससे नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम गुलाब पटैल पिता पारीक्षित पटैल, उम्र 52 वर्ष, निवासी–ग्राम बिछुआ, थाना चरगवां, जिला जबलपुर म.प्र. का रहने वाला बताया। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक देशी मदिरा प्लेन का पाव 180 एम.एल. जिसमें 30 एम.एल. शराब शेष, दो डिस्पोजल, 02 पानी पाउच एवं एक नमकीन का अधखुला पैकेट जिसे गवाहों के समक्ष कब्जे में लेकर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त का कृत्य **आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (अ)** का पाये जाने से मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस के कब्जे में लिया गया। उक्त अपराध जमानतीय प्रकृति को होने से अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41(ए) का नोटिस देकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त के विरूद्ध **आबकारी अधिनियम की धारा 36 (अ)** का अपराध विवरण बनाकर उसकी विशिष्टियां अभियुक्त को पढ़कर सुनाई व समझाई गई। अभियुक्त के द्वारा दिनांक–03.08.2023 को अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया गया।

04. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है :–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.06.2023 को 20:00 बजे, धरती कछार तिराहा गोटेगावं जबलपुर मेनरोड के किनारे अंतर्गत थाना चरगवां जिला जबलपुर में विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अपने कब्जे में एक 180 एम.एल. के पाव में 30 एम.एल. प्लेन देशी शराब (मादक द्रव्य) रखा पाया गया ?

//विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष//

05. अभियुक्त के विरूद्ध दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त द्वारा अपराध का किया जाना स्वेच्छया से स्वीकार किया गया। अभियुक्त के द्वारा बिना किसी डर, दबाव, लालच या भय के अपराध का किया जाना स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के संबंध में विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 का निराकरण साबित

के रूप में किया जाता है। अभियुक्त को स्वीकारोक्ति के आधार पर **आबकारी अधिनियम की धारा 36** के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

06. अभियुक्त को निम्नानुसार दंडित किया जाता है :–

क0	**अभियुक्त का नाम**	**धारा**	**दण्ड**	**जुर्माना देने में व्यतिकम करने पर कारावास**
1.	गुलाब पटैल पिता पारीक्षित पटैल, उम्र 52 वर्ष, निवासी–ग्राम बिछुआ, थाना चरगवां, जिला जबलपुर म.प्र.	**आबकारी अधिनियम की धारा 36**	500/– (पांच सौ रूपये मात्र)	दस दिन का साधारण कारावास

07. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक देशी प्लेन शराब का पाव 180 एम.एल. जिसमें 30 एम.एल. शराब शेष, दो डिस्पोजल, 02 पानी पाउच एवं एक नमकीन का अधखुला पैकेट को मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाए।

08. अभियुक्त की अभिरक्षा के संबंध में प्रमाण पत्र धारा 428 द0प्र0सं पृथक से तैयार कर निर्णय के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित घोषित किया गया।

सही/–
(श्रीमती रीतिका शर्मा खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाटन, जबलपुर, म0प्र0

मेरे निर्देशन पर टंकित। किया गया।

सही/–
(श्रीमती रीतिका शर्मा खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाटन, जबलपुर, म0प्र0